न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 25/2019 राजस्व अपील

1. संतोष कंवर उर्फ संती पुत्री महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम राणोली उप तहसील बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उपतहसीलदार बहरावण्डा दिनांक 10.09.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम संतोष कंवर प्रकरण संख्या 64/2018 अन्तर्गत धारा राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थिति : श्री गोरधन गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: श्री चन्द्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता उप0।

—: निर्णय :— दिनांक: 28.06.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट नें संवत 2075 में ग्राम राणोली की भूमि खसरा नं0. 217 रकबा 0.15 है0 किस्म चरागाह पर काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर बिना कोई सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 10.09.2018 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 10.09.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा का यह निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय का कोई नोटिस नहीं मिला ना ही अपीलान्ट की असालतन तामील ही हुई है। बिना तामील हुए ही इकतरफा में निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्ट ने किसी भी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना भी साबित नहीं हुआ है। बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित किये बिना अपीलान्ट को अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 10.09.2018 में से 30 दिन के सिविल कारावास की सजा के दण्ड को निरस्त करने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट नें संवत 2075 में ग्राम राणोली में स्थित चरागाह भूमि खसरा नं0. 217 रकबा 0.15 है0 में से 0.05 है0 पर आवास व बाडा बनाकर एवं 0.10 है0 पर बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिकमित आराजी से दिनांक 10.09.2018 को बेदखल करने एवं 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट को जारी नोटिस की तामील भी हुई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 10.09.2018 में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मुकदमा नम्बर 64/2018 उनवानी सरकार बनाम संतोष कंवर में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.09.2018 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official